

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/22 पार्ट(12)

जयपुर, दिनांक : 03.02.2025

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1.	38/2015	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, रीडर ग्रेड-III, कार्यालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर-II, जयपुर।	30.06.2042	5/60, गांधीनगर
2.	24/2017	श्री इंसाफ लवार, कनिष्ठ लिपिक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	31.05.2051	जीएडी/5/टी-1/02, विद्याधर नगर
3.	26/2017	श्री रविकान्त बैरवा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग, जयपुर।	31.07.2045	जीएडी/5/टी-1/15, विद्याधर नगर
4.	164/2020	श्री राकेश तिवाड़ी, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक (ख-1), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	29.02.2056	जीएडी/5/टी-1/16, विद्याधर नगर
5.	166/2020	श्री नीरज राजपूत, लिपिक ग्रेड-I, कार्मिक (ख-3/स्टोर) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2057	5/144, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
6.	28/2017	श्री रोहन शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	30.04.2051	जीएडी/5/टी-1/19, विद्याधर नगर
7.	29/2017	श्री प्रकाश चन्द मीणा, वाहन चालक, लोकायुक्त सचिवालय जयपुर।	28.02.2052	जीएडी/5/टी-1/23, विद्याधर नगर
8.	30/2017	सुश्री भावना सिंह, कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	31.12.2040	जीएडी/5/टी-1/25, विद्याधर नगर



		जयपुर।		
9.	167/2020	श्री संजय कुमार सर्राफ, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (ख-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2054	जीएडी/5/टी-1/26, विद्याधर नगर
10.	168/2020	श्री पुनीत अरोड़ा, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (क-4/वादकरण), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2056	जीएडी/5/टी-1/30, विद्याधर नगर
11.	31/2017	श्री हेमन्त यादव, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।	31.08.2056	जीएडी/5/टी-1/32, विद्याधर नगर
12.	32/2017	श्री शेलेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।	31.10.2054	जीएडी/5/टी-1/33, विद्याधर नगर
13.	33/2017	श्री अभिषेक मेथ्यू सिंह, कनिष्ठ लिपिक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।	30.11.2054	जीएडी/5/टी-1/35, विद्याधर नगर
14.	171/2020	सुश्री लक्ष्मी तीतरवाल, लिपिक ग्रेड-1, शिक्षा (ग्रुप-1), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.01.2057	5/109, गांधीनगर
15.	173/2020	श्री पूरन मल मीणा, लिपिक ग्रेड-1, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2052	जीएडी/5/टी-1/38, विद्याधर नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
16.	34/2017	श्री हेमन्त जांगिड, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवाये, जयपुर।	31.07.2058	जीएडी/5/टी-1/39, विद्याधर नगर
17.	35/2017	श्री प्रभुदयाल दीक्षित, कनिष्ठ लिपिक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।	30.11.2048	जीएडी/5/टी-1/44, विद्याधर नगर
18.	36/2017	श्री सुनील सिंह निर्वाण, कनिष्ठ लिपिक, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर।	31.08.2057	जीएडी/5/टी-1/48, विद्याधर नगर
19.	174/2020	सुश्री प्रियंका मोरिया, लिपिक ग्रेड-1, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2058	जीएडी/5/टी-1/62, विद्याधर नगर

20.	175/2020	श्री महावीर प्रसाद महला, लिपिक ग्रेड-1, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.10.2053	जीएडी/5/टी-1/64, विद्याधर नगर
21.	38/2017	श्री विजय कुमारी, कनिष्ठ लिपिक, शिक्षा विभाग, जयपुर	31.08.2031	जीएडी/5/टी-1/65, विद्याधर नगर
22.	39/2017	श्री मुकेश अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, अभियोजन निदेशालय, जयपुर।	31.01.2057	जीएडी/5/टी-1/66, विद्याधर नगर
23.	40/2017	श्री जयप्रकाश मीणा, वाहन चालक, वन विभाग, जयपुर	30.06.2047	जीएडी/5/टी-1/69, विद्याधर नगर
24.	176/2020	सुश्री मनीषा मीना, लिपिक ग्रेड-1, प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2059	5/110, गांधीनगर
25.	177/2020	श्री राकेश कुमार जांगिड़, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2054	जीएडी/5/टी-1/72, विद्याधर नगर
26.	41/2017	श्री कमल सिंह चेची, कनिष्ठ लिपिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड-11, जयपुर	31.12.2042	जीएडी/5/टी-1/76, विद्याधर नगर
27.	42/2017	श्री सुनील कुमार निर्वाण, कनिष्ठ लिपिक, आपदा प्रबंधक एवं सहायता विभाग, जयपुर।	31.08.2057	जीएडी/5/टी-1/79, विद्याधर नगर
28.	43/2017	श्री रमेश चन्द्र मीना, कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	31.07.2044	जीएडी/5/टी-1/80, विद्याधर नगर
29.	178/2020	श्री रविन्द्र सिंह, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2055	जीएडी/5/टी-1/81, विद्याधर नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
30.	179/2020	श्री मनीष कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.04.2058	जीएडी/5/टी-1/83, विद्याधर नगर
31.	45/2017	श्री बजरंग सिंह राजावत, वाहन चालक, वन विभाग, जयपुर	31.08.2043	जीएडी/5/टी-1बी/89, विद्याधर नगर
32.	46/2017	श्री मदन सिंह शेखावत, वाहन चालक, वन विभाग, जयपुर	30.06.2049	जीएडी/5/टी-1/91, विद्याधर नगर

33.	47/2017	श्री मुनेश सिंह, कनिष्ठ लिपिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	31.03.2049	जीएडी/5/टी-1/94, विद्याधर नगर
34.	180/2020	श्री अभिषेक शर्मा, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (ग), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	जीएडी/5/टी-1/102, विद्याधर नगर
35.	181/2020	श्री ओमप्रकाश यादव, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (ख-1), विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2055	जीएडी/5/टी-1/104, विद्याधर नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
36.	49/2017	श्री सन्देश कुमार, कनिष्ठ लिपिक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।	31.03.2055	जीएडी/5/टी-1/107, विद्याधर नगर
37.	50/2017	श्री महेश चन्द्र शर्मा कनिष्ठ लिपिक, पुरातत्व एवं संग्राहालय राजस्थान, जयपुर।	31.07.2037	जीएडी/5/टी-1/109, विद्याधर नगर
38.	54/2017	श्री सौरभ कुमार तँवर, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-20, जयपुर	31.05.2053	जीएडी/5/टी-1/110, विद्याधर नगर
39.	182/2020	श्री ओम प्रकाश पारोड़ा, लिपिक ग्रेड-1, शांति एवं अहिंसा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2055	जीएडी/5/टी-1/112, विद्याधर नगर
40.	184/2020	सुश्री अनुराधा शर्मा, लिपिक ग्रेड-1, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2057	जीएडी/5/टी-1/116, विद्याधर नगर
41.	56/2017	श्री शतेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, जयपुर।	31.01.2041	जीएडी/5/टी-1/119, विद्याधर नगर
42.	57/2017	श्री राजपाल सिंह शेखावत, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर	31.08.2046	जीएडी/5/टी-1/120, विद्याधर नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
43.	58/2017	श्री लेखराज सैनी, कनिष्ठ लिपिक, न्याय विभाग, जयपुर	30.04.2049	जीएडी/5/टी-1/122, विद्याधर नगर
44.	191/2020	सुश्री अनिता गोदारा, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (ग) विभाग, शासन	28.02.2054	जीएडी/5/टी-1/123, विद्याधर नगर

		सचिवालय, जयपुर।		
45.	192/2020	श्री नीरज खांडल, लिपिक ग्रेड-1, संसदीय मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2054	जीएडी/5/टी-1/125, विद्याधर नगर
46.	59/2017	श्री अशोक कुमार गुर्जर कनिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	30.06.2054	जीएडी/5/टी-1/128, विद्याधर नगर
47.	60/2017	श्री दयाराम गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक, विधि विभाग जयपुर	30.06.2049	जीएडी/5/टी-1/136, विद्याधर नगर
48.	61/2017	श्रीमती अर्चना देवी, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	30.06.2046	जीएडी/5/टी-1/137, विद्याधर नगर
49.	193/2020	श्री जैकव मीणा, लिपिक ग्रेड-1, कार्यालय माननीय कैबिनेट मंत्री, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय	30.09.2058	5/63, गांधीनगर
50.	194/2020	श्री प्रदीप सिंह राठौड़, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक (क-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2055	जीएडी/5/टी-1/139, विद्याधर नगर
51.	63/2017	श्री मोईनुद्दीन खान, कनिष्ठ लिपिक, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर	30.11.2028	जीएडी/5/टी-1/142, विद्याधर नगर
52.	64/2017	श्री विष्णुकुमार मीणा, वन रक्षक, राजस्थान वन विभाग, जयपुर	31.07.2039	जीएडी/5/टी-1/144, विद्याधर नगर
53.	65/2017	श्री विजय चौधरी, वाहन चालक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर	31.07.2044	जीएडी/5/टी-1/146, विद्याधर नगर
54.	195/2020	श्री रूपचन्द भामू, लिपिक ग्रेड-1, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2055	जीएडी/5/टी-1/149, विद्याधर नगर
55.	196/2020	श्री नरेन्द्र मूंड, लिपिक ग्रेड-1, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2052	जीएडी/5/टी-1/153, विद्याधर नगर
56.	67/2017	श्री योगेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,	31.03.2035	जीएडी/5/टी-1/154, विद्याधर नगर

		जयपुर		
57.	68/2017	श्री रामकरण दूत, वाहन चालक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जयपुर	31.07.2042	जीएडी/5/टी-1/158, विद्याधर नगर
58.	70/2017	श्री राजू अटौलिया, कनिष्ठ लिपिक, कलेक्ट्रेट जयपुर	31.07.2035	जीएडी/5/टी-1/159, विद्याधर नगर
59.	197/2020	श्री संपूरण सिंह, लिपिक ग्रेड-1, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.07.2057	जीएडी/5/टी-1/160, विद्याधर नगर

**शर्तें:-**

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड)  
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।

2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधानसभा/ लोकायुक्त सचिवालय/ राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग/ आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग/ शिक्षा विभाग/ अभियोजन विभाग/ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग/ विधि विभाग/ न्याय विभाग/ समेकित बाल विकास सेवाएँ/ खान एवं भू विज्ञान विभाग/ वन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12/ न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-20 , जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. उपायुक्त, उद्योग विभाग/ आबकारी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. अति मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग/, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. प्राधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. अति. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।

15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्याधर नगर, जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/विद्याधर नगर, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर/पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटन के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव